संख्या- 05/2019/2902/33-2-2019-198जी/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2019

विषय :जिला पंचायतों के निर्माण कार्य हेतु प्रकाशित निविदाओं में अन्य जिला पंचायतों/राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

जिला पंचायतों में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्टर प्रणाली के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित किये जाने के निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-642/33-2-2017-37जी/17, दिनांक 10-04-2017, शासनादेश संख्या-1105//33-2-2017-56जी/17, दिनांक 18-05-2017 तथा शासनादेश संख्या-2981//33-2-2018-56जी/17, दिनांक 05-06-2018 द्वारा निर्गत किये गये है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा ही निविदाओं में प्रतिभाग किया जाता है, जिससे जिला पंचायतों द्वारा आमंत्रित निविदा में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के अतिरिक्त सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को भी प्रतिभाग किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए, इससे ठेकेदारों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ जिला पंचायतों को प्राप्त होगा। इस हेतु निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाने है :-

(1) प्रदेश की सभी जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में सभी जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के साथ-साथ सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी प्रतिभाग किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा उसी श्रेणी की निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा जिस श्रेणी के लिए वह अपने विभाग में पंजीकृत हैं।

(3) ठेकेदार से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में संबंधित जिला पंचायत में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिग के माध्यम से जिला निधि में जमा कराया जायेगा तथा संबंधित जिला पंचायत के द्वारा न्यूनतम निविदादाता का पंजीकरण एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से करते हुए तदोपरान्त निविदा की शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

(4) उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(5) जिला पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों व अन्य कार्यो के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए एवं निविदा प्रकाशन के समय उक्त तथ्यों का उल्लेख भी किया जाए।

(6) उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में यथासमय आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या: 05/2019/2902(1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमा शंकर मौर्य
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in